

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

सं०सं०-08/नीति (बेतिया राज)-07-11/26-787 (8)/रा०, पटना-15, दिनांक-27/7/26

बेतिया राज की सम्पत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024 की धारा-6 की उप धारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके अपने पदनाम के समक्ष अंकित जिला की अधिसीमा के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक	पदनाम	जिला नाम
1	2	3
1	अपर समाहर्ता, राजस्व, पटना	पटना
2	अपर समाहर्ता, राजस्व, सिवान	सिवान
3	अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, पश्चिम चम्पारण	पश्चिम चम्पारण
4	अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, पूर्वी चम्पारण	पूर्वी चम्पारण
5	अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, सारण	सारण
6	अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, गोपालगंज	गोपालगंज

2. उपर्युक्त पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अधीन विशेष पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन समाहर्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में करेंगे।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक-08/नीति (बेतिया राज)-07-11/26-787(8)/रा०, पटना-15, दिनांक-27/7/26

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत, पटना एवं सारण प्रमंडल/सचिव, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना/समाहर्ता, पटना, गोपालगंज, सारण, सिवान, पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण तथा संबंधित अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी एवं अपर समाहर्ता (राजस्व) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।